[2019] 10 एस सी आर 360

जेनिथ ड्रग्स एंड एलाइड एजेंसीज पी. वी. टी. लिमिटेड।

इसके प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत,

श्री उदय कृष्ण पॉल

वी.

एम/एस। निकोलास पिरामल इंडिया लिमिटेड।

(2009 की सिविल अपील सं. 4430)

30 जुलाई, 2019

[आर. भानुमति और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एस. 8-पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां मध्यस्थता समझौता है-आर. पी. आई. एल.

दिनांक 01.05.1997 के समझौते द्वारा 3 साल की अवधि के लिए अपीलकर्ता कंपनी को उसके समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया - उक्त समझौते में मध्यस्थता खंड था-- आर. पी. आई. एल. ने सूचित किया

अपीलार्थी कि इसका प्रत्यर्थी कंपनी-एन. पी. आई. एल. के साथ विलय हो रहा था और इसलिए, उनके बीच वर्तमान समझौता कायम रहा।

समाप्त-अपीलार्थी ने यह तर्क देते हुए मुकदमा दायर किया कि आर. पी. आई. एल. के साथ समझौता वैध, स्थायी, कानूनी और निरंतर था-उक्त मुकदमे में, पक्षों ने मामले से समझौता किया-उक्त समझौते के संदर्भ में, प्रत्यर्थी ने रुपये का भुगतान किया। 23,50,000 / - अपीलार्थी को और क्षतिपूर्ति पैकेज के एक भाग के रूप में भी अपीलार्थी को उनके उत्पादों के लिए स्टॉकिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया फिर से, दोनों पक्षों के बीच विवाद पैदा हो गया।

पक्षकार-प्रत्यर्थी ने यू/एस. एस. के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की। 420 , 406 , 409 और 403 आर/डब्ल्यू। 34 अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी.-अपीलार्थी ने धन दायर किया

बीस करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा करने वाले प्रत्यर्थी के खिलाफ वित्तीय नुकसान और सद्भावना के नुकसान का आरोप लगाते हुए मुकदमा-प्रत्यर्थी ने यू / धन मुकदमे में मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने के लिए अधिनियम की धारा 8, दिनांकित समझौते में मध्यस्थता खंड पर भरोसा करते हुए 01.05.1997-ट्रायल कोर्ट ने आवेदन यू/एस को खारिज कर दिया। 8 अधिनियम के-संशोधन में, उच्च न्यायालय ने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः समझौता विलेख के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि पक्षों ने एक नए समझौते को प्रतिस्थापित किया है

जब पक्षों ने अपने मतभेदों को सुलझा लिया है और मामले से समझौता किया है, तो बाद में पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद में, पूर्व समझौते में मध्यस्थता खंड को लागू नहीं किया जा सकता है-क्योंकि,

01.05.1997 दिनांकित समझौता और समझौता अलग हैं, इसलिए दिनांकित समझौते में मध्यस्थता खंड 01.05.1997 है।

360 जेनिथ ड्रग्स एंड एलाइड एजेंसीज पी. लिमिटेड। आर. ई. पी. बाय इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर वी। एम/एस। निकोलास पिरामल इंडिया लिमिटेड।

समझौते की शर्तों में नहीं पढ़ा जा सकता है जिसके अनुसार पक्षों ने एक नई व्यवस्था की है

प्रत्यर्थी ने समझौता डिक्री को भी चुनौती दी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह प्रलोभन और धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किया गया था, उसी को देखते हुए, पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है-उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही करने में गलती की कि विवाद दिनांकित समझौते के दायरे में आता है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. समझौते की शर्तों को पढ़ने से

11.12.2001 दिनांकित विलेख, यह स्पष्ट है कि पक्षों ने समझौते के माध्यम से एक नए समझौते को प्रतिस्थापित किया है। दिनांक 1 के समझौते के अनुसार, अपीलकर्ता पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए समाशोधन और अग्रेषण एजेंट था; जबकि समझौते की शर्तों के तहत, अपीलकर्ता को केवल गुवाहाटी और अगरतला के लिए कंपनी के स्टॉकिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है, न कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के रूप में। समझौता ज्ञापन के खंडों में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपीलार्थी ने माल के सभी स्टॉक प्रत्यर्थी कंपनी को सौंप दिए। अपीलार्थी ने पूरा मामला भी सौंप दिया था। उनके कब्जे में उपयोग किए गए और अप्रयुक्त दोनों दस्तावेजों के साथ-साथ बिक्री कर दस्तावेज, सड़क परमिट, स्टॉकिस्टों से 'सी' फॉर्म और अन्य दस्तावेज। जब पक्षों ने अपने मतभेदों को सुलझा लिया है और मामले से समझौता कर लिया है, तो बाद में पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद में, पूर्व समझौते में मध्यस्थता खंड को लागू नहीं किया जा सकता है। चूँकि दिनांकित 01.05.1997 समझौता (अपीलार्थी को समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के रूप में नियुक्त करने के लिए समझौता) और समझौता (अपीलार्थी को स्टॉकिस्ट के रूप में नियुक्त करना) अलग हैं, इसलिए दिनांकित समझौते में मध्यस्थता खंड

01.05.1997 समझौते की शर्तों में नहीं पढ़ा जा सकता है

जिसके अनुसार पक्षों ने एक नई व्यवस्था की है और इसे उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि मध्यस्थता खंड का अस्तित्व अपीलार्थी-कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है और मध्यस्थ को मध्यस्थता की धारा 16 के तहत निर्णय लेना है और

सुलह अधिनियम, 1996 मध्यस्थता खंड वाद की विषय वस्तु पर लागू होता है या नहीं। [पैरा 13] [369-ई-एच; 370-ए-बी] [2019] 10 एस. सी. आर.

2. अधिनियम की धारा 8 के तहत दायर आवेदन में पक्षों को केवल तभी मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है जब मध्यस्थता का विषय

अपीलार्थी को भारी नुकसान। उक्त मुकदमे में, अपीलार्थी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी के अवैध कार्य के कारण, अपीलार्थी को अनावश्यक रूप से आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अपीलार्थी को आर्थिक और मानसिक रूप से भारी नुकसान हुआ है और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी की सद्भावना और प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है और इसलिए, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से बीस करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा किया है। वाद दावा मध्यस्थता के दायरे में नहीं आता है। [पैरा 16] [371-बी-डी]

4. जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, दिनांकित 01.05.1997 समझौते द्वारा, अपीलार्थी को समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए आर. पी. आई. एल.; जबकि समझौता ज्ञापन के तहत, अपीलार्थी को गुवाहाटी और अगरतला में प्रतिवादी कंपनी के स्टॉकिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि क्षतिपूर्ति पैकेज के हिस्से के रूप में पूरी तरह से एक अलग नियुक्ति है। समझौते के अनुसार गुवाहाटी और अगरतला के लिए अपीलार्थी को स्टॉकिस्ट के रूप में नियुक्त करने के लिए पक्षों के समझौते के संबंध में दिनांकित 01.05.1997 समझौते के खंड 17 को लागू नहीं किया जा सकता है। [पैरा 20] [373-बी]

5. यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यर्थी ने समझौता आदेश को यह आरोप लगाते हुए चुनौती दी है कि

प्रलोभन और धोखाधड़ी से प्राप्त। प्रत्यर्थी द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों को देखते हुए कि समझौता डिक्री धोखाधड़ी से दूषित होती है, पक्षों को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है।

जेनिथ ड्रग्स एंड एलाइड एजेंसीज पी. लिमिटेड। आर. ई. पी. बाय इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर वी। एम/एस। निकोलास पिरामल इंडिया लिमिटेड।

यह देखते हुए कि जहां धोखाधड़ी के आरोप हैं जो इतने जटिल हैं कि यह बिल्कुल आवश्यक हो जाता है कि ऐसे जटिल मुद्दों पर निर्णय केवल दीवानी न्यायालय द्वारा पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की आशंका पर ही किया जा सकता है। [पैरा 21] [373-सी-डी]

6. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, इससे संबंधित कोई मध्यस्थता खंड नहीं है

अपीलार्थी को स्टॉकिस्ट के रूप में नियुक्त नहीं करने में पक्षों के बीच विवाद और सद्भावना और प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए मुआवजे का दावा। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही करने में गलती की कि विवाद दिनांकित समझौते के दायरे में आता है और अपीलार्थी-वादी मध्यस्थता खंड के अस्तित्व को स्वीकार करता है और विवादित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है। [पैरा 22] [374-बी-सी]

नथानी स्टील्स लिमिटेड बनाम संबद्ध निर्माण (1995)

और एक अन्य वी। रानी कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड (2002) 2 एससीसी 388 [2002] 1 एससीआर 728; सुकन्या होल्डिंग्स (पी)

लिमिटेड वी. जयेश एच. पांड्या और एक अन्य (2003) 5 एससीसी

531 : [2003] 3 एस. सी. आर. 558; डेक्कन मर्चेंट्स

सहकारी बैंक लिमिटेड v. डालीचंद जुगराज जैन और

अन्य एआईआर 1969 एससी 1320: [1969] 1 एससीआर 887; विश्व खेल समूह (मॉरीशस) लिमिटेड बनाम। एमएसएम उपग्रह

(सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड (2014) 11 एससीसी 639: [2014] 1

(2014) 6 एस. सी. सी. 677 [2014] 6 एस. सी. आर. 514 संदर्भित। योगी अग्रवाल बनाम। प्रेरणा कपड़े और यू और अन्य

(2009) 1 एससीसी 372: [2008] 16 एससीआर 895;

ए. अय्यासामी बनाम। ए. परमशिवम और अन्य (2016) 10

एससीसी 386: [2016] 11 एस. सी. आर. 521-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

(1995) 3 पूरक। एस. सी. सी. 324

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

[2002] 1 एससीआर 728

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[2008] 16 एससीआर 895

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

[2003] 3 एससीआर 558

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

[1969] 1 एससीआर 887

संदर्भित किया गया है

[2014] 1 एससीआर 796

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[2014] 6 एससीआर 514

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[2016] 11 एससीआर 521

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4430

2009 का

2005 की सिविल संशोधन याचिका संख्या 31 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांकित 26.03.2007 के निर्णय और आदेश से

मनीष गोस्वामी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

ऋषिकेश बरुआ, सुश्री राधिका गुप्ता, सायंतन तालपात्रा, जगजीत

सिंह छाबड़ा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. भानुमति, जे.

1. यह अपील गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 2005 के सिविल संशोधन (पी) No.31 में पारित दिनांक 26.03.2007 के आदेश से उत्पन्न होती है। जिसे उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा पसंद की गई पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी और पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा।

2. जिन संक्षिप्त तथ्यों के कारण यह अपील दायर की गई, वे इस प्रकार हैं:

अपीलार्थी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और विभिन्न प्रकार के एजेंसी व्यवसायों के साथ शामिल है।

समाशोधन और अग्रेषण एजेंटों, माल ठेकेदारों आदि का। मेसर्स रोन पोलेन इंडिया लिमिटेड (आर. पी. आई. एल.) ने दिनांक 01.05.1997 के समझौते के माध्यम से अपीलकर्ता कंपनी को अपने समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के रूप में नियुक्त किया।

तीन साल की अवधि के लिए। दिनांकित 01.05.1997 समझौते के खंड 17 में मध्यस्थता खंड शामिल है। समझौते को 01.04.2001 से 31.03.2002 तक आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था।

3. आर. पी. आई. एल. ने अपने दिनांकित 20.07.2001 के पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया कि उनकी कंपनी का प्रत्यर्थी कंपनी-निकोलस पीरामल इंडिया लिमिटेड (एन. पी. आई. एल.) के साथ विलय हो रहा है और विलय के अनुसार, आर. पी. आई. एल.

एक कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसलिए, तीन से प्रभावी पत्र की तारीख से महीनों बाद, मौजूदा समाशोधन और अग्रेषण एजेंसी समझौता ZENITH DRUGS & ALLIED AGENCIES P. Ltd. के प्रावधानों के संदर्भ में समाप्त हो जाएगा।

आर. ई. पी. बाय इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर वी। एम/एस। निकोलास पिरामल इंडिया लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

समझौता। बंबई उच्च न्यायालय ने 2001 के कंपनी आवेदन No.252 में अन्य बातों के साथ-साथ इसे मंजूरी देते हुए दिनांक 27.09.2001 का आदेश पारित किया। प्रत्यर्थी कंपनी के साथ आर. पी. आई. एल. का एकीकरण। अपीलार्थी ने अपने दिनांकित 25.07.2001 के पत्र द्वारा प्रत्यर्थी कंपनी के समाशोधन और अग्रेषण एजेंसी समझौते को समाप्त करने के एकतरफा निर्णय पर आपत्ति जताई और प्रत्यर्थी से अनुरोध किया कि जब तक बातचीत के माध्यम से मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता, तब तक एजेंसी के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें। आर. पी. आई. एल. ने अपने दिनांकित 03.09.2001 पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया कि वे समाप्ति पत्र को वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, समाशोधन और अग्रेषण एजेंसी समझौता दिनांक 01.05.1997 इस प्रकार समाप्त हो गया।

4. अपीलार्थी ने 2001 का शीर्षक मुकदमा No.241 दायर किया और अन्य बातों के साथ घोषणा के लिए प्रार्थना की कि अपीलार्थी और आर. पी. आई. एल. के बीच अनुबंध प्रतिवादी संख्या 1 वैध, विद्यमान, कानूनी और निरंतर था और आगे की घोषणा के लिए कि प्रतिवादी अपीलार्थी को समाशोधन के रूप में समाप्त नहीं कर सकते हैं।

और प्रत्यर्थी कंपनी के साथ विलय के मामले में किसी भी तरह से अग्रेषण एजेंट। उक्त मुकदमे में, पक्षों ने मामले से समझौता किया है और पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से दायर किए गए समझौता विलेख के आधार पर, सिविल जज, सीनियर डिवीजन, गुवाहाटी ने अपने आदेश दिनांक 24.12.2001 के अनुसार 2001 के टाइटल सूट No.241 को समझौते पर घोषित किया है। समझौता विलेख में सन्निहित नियम और शर्तें। उक्त समझौते के संदर्भ में, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को <ID1,50,000/का भुगतान किया है और मुआवजे के पैकेज के एक हिस्से के रूप में अपीलार्थी को गुवाहाटी और अगरतला में अपने उत्पादों के लिए स्टॉकिस्ट के रूप में नियुक्त किया है।

5. अपीलार्थी का मामला यह है कि प्रत्यर्थियों ने समझौता डिक्री के नियमों और शर्तों का सम्मान करने से इनकार कर दिया, इसलिए अपीलार्थी दिनांक 24.12.2001 के समझौते के आदेश के निष्पादन के लिए 2002 का शीर्षक निष्पादन मामला संख्या 4 दायर किया था। वर्ष 2002 में अपीलार्थी के कर्मचारी द्वारा स्टॉक के कथित डायवर्जन पर पक्षों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए। प्रतिवादी ने 2002 के सी. आर. मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामरूप के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज की।

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 420,406,409 और 403 के तहत दंडनीय अपराध। प्रत्यर्थी ने धारा 151 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन भी दायर किया था जिसमें इस आधार पर समझौता डिक्री को अलग करने/वापस लेने का अनुरोध किया गया था कि समझौता डिक्री अपीलार्थी द्वारा झूठे प्रलोभन और गलत निरूपण द्वारा प्राप्त की गई थी और इसे धोखाधड़ी के कारण दूषित किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. 30.04.2003 पर, अपीलार्थी ने बीस करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए 2003 का मनी सूट No.73 दायर किया था। मुकदमे में, अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया कि प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर चूक और कमीशन के कार्यों के कारण, अपीलार्थी-वादी को भारी वित्तीय नुकसान के साथ-साथ बाजार में सद्भावना और प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ था। 15.06.2004 पर, दिनांकित 01.05.1997 समझौते के खंड 17 पर भरोसा करते हुए,

प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें 2003 के मनी सूट No.73 में पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध किया गया था। निचली अदालत ने 19.02.2005 दिनांकित आदेश के माध्यम से धारा के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया

8 अधिनियम में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा दायर 2001 के स्वामित्व वाद No.241 में पूर्ववर्ती वाद पक्षकारों के बीच समझौते पर अभिनिर्धारित किया गया था और इसलिए, नथानी स्टील्स लिमिटेड v. में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए। एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शंस 1995 सप. (3) एससीसी 324, प्रत्यर्थी

प्रतिवादी उसी विवाद से संबंधित मध्यस्थता खंड का आह्वान नहीं कर सकता है और मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। प्रतिवादी ने 2005 की सिविल संशोधन याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की, जिसमें निचली अदालत के दिनांक 19.02.2005 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के माध्यम से पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि आर. पी. आई. एल. के विलय से पहले भी

समझौता डिक्री। यह देखते हुए कि मध्यस्थता खंड का अस्तित्व अपीलकर्ता कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है, उच्च न्यायालय ने कहा कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्ट किए गए निर्णय को देखते हुए।

और एक अन्य वी। रानी कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड (2002) 2 एस. सी. सी. 388 और अन्य निर्णय, सिविल कोर्ट के पास यह तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि मुकदमे की विषय वस्तु मध्यस्थता खंड को आकर्षित करती है या नहीं। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 16 के तहत, मध्यस्थता खंड मुकदमे के विषय पर लागू होता है या नहीं, यह मध्यस्थ को अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेना है। पीड़ित होने के कारण, अपीलार्थी

इस अपील को प्राथमिकता दी है।

7. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मनीष गोस्वामी और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ऋषिकेश बरुआ को सुना है। 8. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए गलती की कि अपीलार्थी-वादी ने ज़ेनिथ ड्रग्स एंड एलाइड एजेंसीज पी. लिमिटेड के अस्तित्व को स्वीकार किया।

आर. ई. पी. बाय इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर वी। एम/एस। निकोलास पिरामल इंडिया लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

मध्यस्थता खंड और उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि 2001 के सूट No.241 में दिनांकित समझौता डिक्री पक्षों के बीच विवाद के पूर्ण और अंतिम निपटारे में थी। यह अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया गया था कि दावे का एक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक हिस्सा मध्यस्थता खंड के दायरे से बाहर था और जब विवाद मध्यस्थता खंड के दायरे में नहीं आता है, तो उसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है। योगी अग्रवाल बनाम पर निर्भरता रखना। प्रेरणा कपड़े और यू और अन्य

(2009) 1 एस. सी. सी. 372 और सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम। जयेश एच. पांड्या और एक अन्य (2003) 5 एस. सी. सी. 531, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए, विवाद उस अनुबंध से संबंधित होना चाहिए जिसके संबंध में पक्षकार मध्यस्थता को संदर्भित करने के लिए सहमत हुए हैं। 2003 के मनी सूट No.73 में बाद के मुकदमे में मांगी गई दलीलों और राहत के माध्यम से हमें लेते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विवाद विशेष रूप से है

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने में गलती हुई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि प्रत्यर्थी ने याचिका दायर करके प्रलोभन और धोखाधड़ी के आधार पर 24.12.2001 दिनांकित समझौते के आदेश को चुनौती दी है और यह अभी भी लंबित है।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया

कि दिनांकित 01.05.1997 समझौते में मध्यस्थता खंड का तथ्य अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है और अपीलार्थी मुआवजे की मांग कर रहा है

समाशोधन और अग्रेषण अभिकर्ता समझौते की अवैध समाप्ति के कारण और मुद्दा अभी भी मध्यस्थता योग्य है। यह भी प्रस्तुत किया गया था

कि 2001 के टाइटल सूट No.241 में दिनांकित 11.12.2001 समझौता विलेख अपीलार्थी कंपनी द्वारा प्रतिवादी कंपनी पर झूठे प्रलोभन और धोखाधड़ी का अभ्यास करने के माध्यम से प्राप्त किया गया था और यदि अपीलार्थी द्वारा की गई धोखाधड़ी प्रतिवादी कंपनी को ज्ञात थी, तो प्रतिवादी उपरोक्त समझौता विलेख का पक्षकार नहीं होता और धोखाधड़ी का अभ्यास करके प्राप्त की गई उक्त समझौता डिक्री एक शून्य और शून्य है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि अपीलार्थी द्वारा उठाया गया विवाद "... उपहारों को छू रहा है।

" }

दिनांकित समझौते के 01.05.1997 और उच्च न्यायालय ने उचित रूप से निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया और पक्षों को संदर्भित किया मध्यस्थता "।

10. हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उनका अध्ययन किया है

विवादित निर्णय और अभिलेख पर सामग्री। इस अपील में निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(i) क्या उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने में सही था कि अपीलार्थी-कंपनी दिनांकित समझौते में मध्यस्थता खंड के अस्तित्व को स्वीकार करती है।

01.05.1997 ?

((ii) क्या अपीलार्थी का यह तर्क देना सही है कि 2003 के धन वाद में उठाया गया विवाद मध्यस्थता खंड के दायरे में नहीं आता है और इसे मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है?

11. अपीलार्थी कंपनी और आर. पी. आई. एल. के बीच दिनांकित 01.05.1997 समझौते में, अपीलार्थी को समाशोधन के लिए नियुक्त किया गया था और

पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए अग्रेषण एजेंट। उक्त समझौते के खंड 17 में मध्यस्थता खंड है जो निम्नानुसार हैः

“ इसमें निहित विषय से पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद या इस दौरान इन उपहारों को छूने की स्थिति में

इस समझौते की लंबितता या उसके बाद वही होगा बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बनाए गए मध्यस्थता विषय के नियमों और विनियमों के तहत प्रदान किए गए मध्यस्थता अधिनियम बॉम्बे को संदर्भित किया गया है और अकेले मुंबई में सक्षम अदालत के पास इस मामले में अधिकार क्षेत्र होगा।

12. प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया

रुपये. 6,70,000/-; (iii) रुपये. 6,20,000/- के लिए ड्राफ्ट No.215683; और (iv) रुपये. 3,10,000/- के लिए ड्राफ्ट No.215685, सभी दिनांकित 04.01.2001 इलाहाबाद बैंक, पानबाजार, गुवाहाटी पर तैयार किए गए। क्षतिपूर्ति पैकेज के एक भाग के रूप में, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को गुवाहाटी और अगरतला में कंपनी के स्टॉकिस्ट के रूप में नियुक्त किया। समझौते के संदर्भ में, अपीलार्थी ने सभी दस्तावेज़ प्रतिवादी को सौंप दिए हैं। समझौते की शर्तों का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

जेनिथ ड्रग्स एंड एलाइड एजेंसीज पी. लिमिटेड। आर. ई. पी. बाय इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर वी। एम/एस। निकोलास पिरामल इंडिया लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

(iv) प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांकित 07.12.2001 पत्र द्वारा नियुक्त किया है।

गुवाहाटी में कंपनी के स्टॉकिस्ट के रूप में वादी और

मुआवजे के पैकेज के हिस्से के रूप में अगरतला।

(v) वादी ने माल के सभी स्टॉक को सौंप दिया है

प्रतिवादी कंपनी और कंपनी ने पहले ही शुरू कर दिया है

वादी की अभिरक्षा से स्टॉक उठाना और

11 दिसंबर, 2001 तक साफ होने की उम्मीद है। वादी एल/आर सहित सभी दस्तावेज भी सौंप दिए हैं।

कब्जा, फाइलें, रिकॉर्ड और बिक्री कर दस्तावेज जैसे कि

उपयोग किए गए और अप्रयुक्त बिक्री कर दस्तावेज दोनों (1) सड़क परमिट; (2) भेजा गया नोट; (3) 'सी' प्रपत्र; (4) 'एफ' प्रपत्र; (5) स्टॉकिस्टों से 'सी' प्रपत्र और प्रतिवादियों को कागजात।

प्रतिवादी संख्या 1 के तहत सी एंड एफ एजेंसी से संबंधित; (6) नवंबर, 1994 से आज तक के सभी पिछले रिकॉर्ड भी वादी को सौंप दिए गए हैं; (7) सॉफ्टवेयर की आपूर्ति की गई है और कंप्यूटर का डेटा भी लिया गया है और पीसी छोड़ दिया गया है।

आर. पी. आई. एल. के कार्यक्रम को पूरी तरह से हटाने के बाद।

13. समझौता विलेख की उपरोक्त शर्तों को पढ़ने से

गुवाहाटी और अगरतला और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के रूप में नहीं। समझौता ज्ञापन के खंडों में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपीलार्थी ने माल के सभी स्टॉक प्रत्यर्थी-कंपनी को सौंप दिए। अपीलार्थी ने पूरा मामला भी सौंप दिया था। उनके कब्जे में उपयोग किए गए और अप्रयुक्त दोनों दस्तावेजों के साथ-साथ बिक्री कर दस्तावेज, सड़क परमिट, स्टॉकिस्टों से 'सी' फॉर्म और अन्य दस्तावेज। जब दलों ने अपने मतभेदों को सुलझा लिया है और समझौता किया है

बाद में पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद में, पूर्व समझौते में मध्यस्थता खंड को लागू नहीं किया जा सकता है। चूँकि 01.05.1997 दिनांकित समझौता (अपीलार्थी को समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के रूप में नियुक्त करने के लिए समझौता) और समझौता (अपीलार्थी को स्टॉकिस्ट के रूप में नियुक्त करना) अलग हैं, इसलिए 01.05.1997 दिनांकित समझौते में मध्यस्थता खंड को समझौते की शर्तों के अनुसार नहीं पढ़ा जा सकता है।

जिसे पार्टियों ने एक नई व्यवस्था में प्रवेश किया है और इसमें [2019] 10 एस. सी. आर. नहीं है।

उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा गया। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि मध्यस्थता खंड का अस्तित्व द्वारा स्वीकार किया गया है

अपीलार्थी-कंपनी और यह मध्यस्थ को धारा 16 के तहत निर्णय लेना है।

अधिनियम के अनुसार मध्यस्थता खंड वाद की विषय वस्तु पर लागू होता है या नहीं।

14. अधिनियम की धारा 8 के तहत दायर आवेदन में पक्षों को केवल तभी मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है जब न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कार्रवाई का विषय विवाद से संबंधित हो जो मध्यस्थता समझौते का विषय है। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगाः

(i) एक मध्यस्थता समझौता है;

((ii) समझौते का एक पक्ष न्यायालय में उसके विरुद्ध कार्रवाई करता है।

दूसरा पक्ष;

((iii) कार्य का विषय-पदार्थ विषय-पदार्थ के समान होता है।

मध्यस्थता समझौते का;

((iv) विरोधी पक्ष अपना पहला बयान प्रस्तुत करने से पहले पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए न्यायिक प्राधिकरण को आवेदन करता है।

विवाद के सार पर।

अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन केवल तभी किया जा सकता है जब मुकदमे की विषय वस्तु भी विषय वस्तु के समान हो।

मध्यस्थता। दूसरे शब्दों में, केवल वे विवाद जो विशेष रूप से मध्यस्थता के माध्यम से हल करने के लिए सहमत हैं, मध्यस्थता का विषय हो सकते हैं और उसी की संतुष्टि पर, न्यायालय पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेज सकता है। 15. यह देखते हुए कि अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन दायर करना मध्यस्थता समझौते से संबंधित होना चाहिए या योगी अग्रवाल बनाम में विवाद पर लागू होना चाहिए। इंस्पिरेशन क्लोथ्स एंड यू एंड अदर्स (2009)

एस. सी. सी. 372, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 9. जब कोई प्रतिवादी मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का आरोप लगाकर अधिनियम की धारा 8 का आह्वान करता है, तो उसे यह स्थापित करना चाहिए कि ऐसा मध्यस्थता समझौता वाद लेनदेन/अनुबंध से संबंधित है या उस पर लागू होता है। पक्ष अलग-अलग समय पर अलग-अलग अनुबंध कर सकते हैं या असंबंधित लेनदेन की एक श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं। यह संभव है कि कुछ के संबंध में, वे

मध्यस्थता के लिए प्रावधान कर सकते हैं और अन्य के संबंध में, ZENITH DRUGS & ALLIED AGENCIES P. L. D. के लिए प्रावधान नहीं कर सकते हैं।

आर. ई. पी. बाय इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर वी। एम/एस। निकोलास पिरामल इंडिया लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

मध्यस्थता। जाहिर है, किसी अन्य लेन-देन/अनुबंध के संदर्भ में एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व, जिसमें वादी एक पक्ष था या है, लेन-देन से असंबद्ध है या

जिन अनुबंधों से कोई मुकदमा संबंधित है, उन्हें मुकदमे के लेनदेन के संबंध में "मध्यस्थता समझौते" का अस्तित्व नहीं माना जा सकता है। अनुबंध।

16. वर्तमान मामले में, समझौता डिक्री में कोई मध्यस्थता खंड नहीं है। 2003 का बाद का सूट No.73 किया गया है

गुवाहाटी और अगरतला में अपने उत्पादों के स्टॉकिस्ट के रूप में अपीलार्थी को नियुक्त करने में प्रतिवादी कंपनी की विफलता के कारण अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया और इसी से अपीलार्थी को काफी नुकसान हुआ है। उक्त मुकदमे में, अपीलार्थी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी के अवैध कार्य के कारण, अपीलार्थी को अनावश्यक रूप से आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अपीलार्थी

आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से भारी नुकसान हुआ है और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी की सद्भावना और प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है और इसलिए, अपीलार्थी ने प्रतिवादी से बीस करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा किया है। वाद दावा मध्यस्थता के दायरे में नहीं आता है।

17. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री ऋषिकेश बरुआ ने प्रस्तुत किया कि दिनांकित समझौते के खंड 17 में "पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद" सहित सभी विवाद शामिल हैं जो समझौते के खंडों को "छू सकते हैं"। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पक्षों के बीच विवाद संविदात्मक समझौते से उत्पन्न होते हैं जो दिनांकित 01.05.1997 समझौते को "छूता है"। आगे सीखी हुई सलाह प्रस्तुत किया कि समझौते में उपयोग किए गए ". इन उपहारों को छूते हुए" शब्दों का व्यापक अर्थ है जो न केवल अपीलार्थी की समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के रूप में नियुक्ति से उत्पन्न होने वाले विवाद से संबंधित है, बल्कि उसी से उत्पन्न होने वाला कोई अन्य विवाद भी अनिवार्य रूप से ". इन उपहारों को छूते हुए" के दायरे में आएगा। और

उच्च न्यायालय ने उचित रूप से पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया। उनके तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने पी रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, चौथे संस्करण, पृष्ठ 4876 पर भरोसा रखा। जिस प्रासंगिक भाग पर भरोसा किया गया है, वह इस प्रकार है:

" 'स्पर्श' शब्द का शब्दकोश अर्थ 'संदर्भ या संबंध में, सम्मान, संबंध या संबंधित' है और यह अर्थ इंगित करता है कि विवाद सीधे समाज के व्यवसाय से उत्पन्न नहीं होते हैं; लेकिन यह पर्याप्त है कि इसमें [2019] 10 एस. सी. आर. होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समाज के व्यवसाय का संदर्भ या संबंध।

एम. एस. माधव राव बनाम डी. वी. के. सूर्य राव, ए. आई. आर. 1954 मैड 103,

107 (एफ. बी.) [मद्रास सहकारी समिति अधिनियम (1932 का 6), धारा 51] "

इस संबंध में, डेक्कन मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में भी निर्भरता रखी गई थी। दलीचंद जुगराज जैन और अन्य आकाशवाणी

1969 एससी 1320: [1969] 1 एस. सी. आर. 887, विश्व खेल समूह (मॉरीशस) लिमिटेड बनाम। एम. एस. एम. उपग्रह (सिंगापुर) पी. टी. ई. लिमिटेड (2014) 11 एस. सी. सी. 639।

18. 2003 के मनी सूट No.73 में दलीलों के माध्यम से हमें लेते हुए, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 2003 के मनी सूट No.73 में किए गए विभिन्न दावे अपीलार्थी द्वारा किए गए कथित नुकसान से संबंधित हैं-वादी दिनांकित समझौते की समाप्ति के कारण अनिवार्य रूप से "के दायरे में आता है।

ये प्रस्तुत करते हैं। "समझौते के खंड 17 में होने वाले और इसलिए, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया। स्विस टाइमिंग बनाम पर निर्भरता रखना। राष्ट्रमंडल खेल 2010 (2014) 6 एस. सी. सी. 677, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभिक चरण में मध्यस्थता को बंद करने से वह उद्देश्य नष्ट हो जाएगा जिसके लिए पक्षों ने मध्यस्थता समझौता किया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब पक्षों द्वारा सहमत मध्यस्थता के लिए कोई खंड होता है, तो दीवानी अदालत के लिए विवादों को मध्यस्थ के पास भेजना अनिवार्य होता है। यह आग्रह किया गया कि वर्तमान मामले में, दिनांकित समझौते के खंड 17 को देखते हुए और अधिनियम की धारा 8 की अनिवार्य भाषा को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया।

19. हालाँकि 2003 के मनी सूट No.73 में कुछ दावे अपीलार्थी-वादी द्वारा कथित रूप से किए गए नुकसान से संबंधित हैं।

कहा जाता है कि अपीलार्थी को नुकसान हुआ है-बाद में वादी समझौता। अपीलार्थी-वादी के अनुसार, रु। 1. 40 करोड़ रुपये गुवाहाटी और अगरतला में स्टॉकिस्ट के रूप में अपीलकर्ता-वादी को नियुक्त करने में प्रतिवादी की विफलता के कारण हुए कथित नुकसान से संबंधित है; सद्भावना और प्रतिष्ठा के कथित नुकसान से संबंधित दावा; मानसिक दबाव और कानूनी कार्यवाही के कारण हुए नुकसान से संबंधित दावा और ऐसे अन्य दावे दिनांकित समझौते को नहीं छूते हैं। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 2003 के मनी सूट No.73 में, दावे का बड़ा हिस्सा समझौता ज्ञापन के गैर-अनुपालन के बाद की घटनाओं से संबंधित है जो जे. ई. एन. आई. टी. एच. ड्रग्स एंड एल. आई. ई. डी. एजेंट्स पी. लिमिटेड के अंतर्गत नहीं आते हैं।

आर. ई. पी. बाय इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर वी। एम/एस। निकोलास पिरामल इंडिया लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

01.05.1997 दिनांकित समझौते का दायरा और केवल दीवानी अदालत द्वारा हल किया जा सकता है। 20. जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, दिनांक 1 के समझौते द्वारा, अपीलार्थी को आर. पी. आई. एल. के समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था।

पूरा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र; जबकि समझौता ज्ञापन के तहत,

21. यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यर्थी ने समझौता आदेश को यह आरोप लगाते हुए चुनौती दी है कि यह प्रलोभन द्वारा प्राप्त किया गया है और धोखाधड़ी। प्रत्यर्थी द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों को देखते हुए कि समझौता डिक्री धोखाधड़ी से दूषित होती है, पक्षों को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है। यह देखते हुए कि जहाँ आरोप हैं

धोखाधड़ी जो इतनी जटिल है कि यह बिल्कुल आवश्यक हो जाता है कि इस तरह के जटिल मुद्दों पर केवल दीवानी न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

ए. अय्यासामी बनाम में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की आशंका। ए. परमशिवम और अन्य (2016) 10 एस. सी. सी. 386, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 25. ..... यह केवल उन मामलों में है जहां अदालत, अधिनियम की धारा 8 पर विचार करते हुए पाती है कि बहुत गंभीर मामले हैं।

धोखाधड़ी के आरोप जो आपराधिक अपराध का एक आभासी मामला बनाते हैं या जहां धोखाधड़ी के आरोप इतने जटिल होते हैं कि यह बिल्कुल आवश्यक हो जाता है कि इस तरह के जटिल मुद्दों पर केवल दीवानी अदालत द्वारा भारी साक्ष्य की सराहना पर निर्णय लिया जा सकता है, जिसे पेश करने की आवश्यकता है, अदालत धारा 8 के तहत आवेदन को खारिज करके समझौते को दरकिनार कर सकती है और गुण-दोष के आधार पर मुकदमे के साथ आगे बढ़ सकती है। ऐसा उन मामलों में भी किया जा सकता है जहां धोखाधड़ी की याचिका के समर्थन में दस्तावेजों की जालसाजी/मनगढ़ंत के गंभीर आरोप हैं या जहां मध्यस्थता प्रावधान के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है या ऐसी प्रकृति का है जो मध्यस्थता के समझौते सहित पूरे अनुबंध में व्याप्त है, जिसका अर्थ है कि उन मामलों में जहां धोखाधड़ी पूरे अनुबंध की वैधता तक जाती है जिसमें मध्यस्थता खंड या स्वयं मध्यस्थता खंड की वैधता शामिल है।

चूँकि प्रत्यर्थी ने यह दलील दी है कि समझौता डिक्री धोखाधड़ी से दूषित होती है, इसलिए इस तरह की याचिका के गुण-दोष का निर्णय केवल दीवानी न्यायालय द्वारा पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने पर ही किया जा सकता है। 22. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, अपीलार्थी को स्टॉकिस्ट के रूप में नियुक्त नहीं करने में पक्षों के बीच विवाद और सद्भावना और प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए मुआवजे के दावे से संबंधित कोई मध्यस्थता खंड नहीं है। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही करने में गलती की कि विवाद दिनांकित समझौते के दायरे में आता है और अपीलार्थी-वादी मध्यस्थता खंड के अस्तित्व को स्वीकार करता है और विवादित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है।

23. परिणामस्वरूप, 2005 के सिविल संशोधन (पी) No.31 में उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और इस अपील की अनुमति दी जाती है और 2003 का मनी सूट No.73 सिविल जज, सीनियर डिवीजन, कामरूप, गुवाहाटी की फाइल में बहाल हो जाएगा और निचली अदालत कानून के अनुसार मामले पर आगे बढ़ेगी।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान